निष्पादन अनुदान (14वें वित्त आयोग) प्राप्ति हेतु दिशा–निर्देश

अत्यावश्यक

प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
8वाँ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1–नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम, उ0प्र0।

2–अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें,
उ0प्र0।

द्वारा– जिलाधिकारी

संख्याः–8/754-/171/14वाँ वित्त आयोग/2017–18, लखनऊःदिनांकः 27 जून, 2017

विषयः– 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत निष्पादन अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत निष्पादन अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु नगरीय निकायों को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगाः–

निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु समस्त नागर निकायों को अपना सम्परीक्षित वार्षिक लेखा तैयार किया जाना होगा जो कि उस वित्तीय वर्ष से दो वर्ष पूर्व तक के होने चाहिए, जिस वर्ष के निष्पादन अनुदान हेतु निकाय द्वारा दावा किया जायेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा अनिवार्य रूप से निजी स्त्रोतों की आय में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि किया जाना होगा जिसकी पुष्टि सम्परीक्षित लेखों से की जायेगी। निष्पादान अनुदान की प्राप्ति हेतु नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एंव नगर पंचायतों को अपने राजस्व में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि किया जाना होगा। उक्त के अतिरिक्त नगरीय निकायों द्वारा अपनी निकाय द्वारा मुहैया करायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का निर्धारण कर उक्त को निकाय की वेबसाइट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित किया जाना होगा। इस हेतु नगर विकास विभाग के सर्विस लेवल का प्रयोग किया जा सकता है। सम्परीक्षित लेखे में परिलक्षित होने वाले राजस्व वृद्धि को ही संज्ञान में लिया जायेगा। राजस्व वृद्धि की गणना में 2 प्रतिशत स्टाम ड्युटी, विकास प्राधिकरणों से प्राप्त राजस्व, रोड कटिंग चार्जेच, चुंगी एंव प्रवेश कर सम्मलित नहीं होगें। सभी शर्ते पूर्ण करने वाली पात्र निकायों को ही निष्पादन अनुदान के वितरण के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उक्त का वितरण समस्त पात्र निकायों के मध्य किया जायेगा। प्रस्तर संख्या–2 में उल्लिखित तीन शर्तो को पूर्ण करने वाली निकायों के मध्य निष्पादन अनुदान का वितरण त्रि–स्तरीय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) अशांनुरूप जनगणना–2011 एंव क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के मानक के अनुसार किया जायेगा। नगरीय निकायों को निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु अपना स्वमूल्यांकित दावा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना होगा।

2. निष्पादन अनुदान के द्वितीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु यह प्रकिया आगामी तीन वित्तीय वर्षो 2017–18, 2018–19 तथा 2019–2020 हेतु लागू होगी। 14वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु निर्धारित तीन शर्ते निम्नवत् हैं:–

I) निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किये जाने हेतु समस्त नागर निकायों को अपना सम्परीक्षित वार्षिक लेखा तैयार कर निकाय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना होगा जो कि उस वित्तीय वर्ष से दो वर्ष पूर्व तक के होने चाहिए, जिस वर्ष के निष्पादन अनुदान हेतु निकाय द्वारा दावा किया जायेगा।

II) प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा अनिवार्य रूप से निजी स्त्रोतों की आय में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि किया जाना होगा जिसकी पुष्टि सम्परीक्षित लेखों से की जायेगी। निष्पादान अनुदान की प्राप्ति हेतु नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एंव नगर पंचायतों को अपने राजस्व में गत वर्ष के

सापेक्ष वृद्धि किया जाना होगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 का निष्पादन अनुदान प्राप्त किये वित्तीय वर्ष 2014–15 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में हुयी निजी स्त्रोतों की आय में वृद्धि को आंकलित किया जायेगा।

III) नगरीय निकायों द्वारा अपनी निकाय द्वारा मुहैया करायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का निर्धारण कर उक्त को निकाय की वेबसाइट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित किया जाना होगा।

किसी भी वित्तीय वर्ष में निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु शर्त संख्या–1 अनिवार्य एंव आवश्यक है।

निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु अर्हताएं निम्नवत् हैः–

अ. <u>वार्षिक लेखों की सम्परीक्षाः–</u> नागर निकायों को अपना सम्परीक्षित वार्षिक लेखा तैयार कर उक्त को निकाय की बेवसाइट पर प्रकाशित किया जाना होगा जो कि उस वित्तीय वर्ष से दो वर्ष पूर्व तक के होने चाहिए, जिस वर्ष के निष्पादन अनुदान हेतु निकाय द्वारा दावा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में निष्पादन अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेखों की सम्परीक्षा की जानी होगी। उक्त शर्त को पूर्ण करने वाली निकाय को अनुलग्नक संख्या–2 में उल्लिखित स्कोरिंग पैर्टन के अनुसार 10 अंक दिये जायेगें।

ब. <u>निजी स्त्रातों से आय में वृद्धिः–</u> नागर निकायों द्वारा अपने निजी स्त्रातों की आय में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की जानी होगी जिसकी पुष्टि निकाय के सम्परीक्षित लेखे से की जायेगी।

1. ऐसी निकायें जो कि अपने राजस्व व्यय (सेवाओं के संचालन एंव रखरखाव तथा स्थापना एंव वेतन का योग) का 70 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी अपने राजस्व प्राप्तियों से कर लेगें, अनुलग्नक संख्या–2 के उल्लिखित स्कोरिंग पैर्टन के अनुसार अधिकतन 20 अंक प्राप्त करेगें। निजी स्त्रोतों की आय में निकाय द्वारा अधिरोपित एंव एकत्रित कर एंव करेत्तर राजस्व सम्मिलित होगा। निजी स्त्रोतों की आय में केन्द्र अथवा राज्य सरकार से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। निजी स्त्रोतों की आय में चुंगी, प्रवेश शुल्क तथा स्टैम्प शुल्क को भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2. अधिकतम 20 अंक ऐसी निकायों को दिये जायेगें, (50 प्रतिशत (अमृत शहर)/ 20 प्रतिशत (अन्य शहर) या उससे अधिक) जो अपने सम्पूर्ण व्यय का प्रयोग परिसम्पत्ति निर्माण तथा पूंजीगत व्यय में करते हों। स्कोरिंग पैर्टन अनुलग्नक–2 में दिये गये हैं। उक्त में निकाय को प्राप्त समस्त अनुदानों, स्कीमों, प्रोग्रामों तथा धनावंटनों को सम्मिलित किया जायेगा।

स. <u>सर्विस लेवल बैंचमार्क का प्रकाशनः–</u> प्रत्येक अवार्ड अवधि हेतु नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के स्तर का निर्धारण एंव प्रकाशन करना होगा जिसे वह अपनी बेवसाइट पर प्रकाशित करेगा।

1. जलापूर्ति के सेवामानक को पूर्ण करने वाली निकायों को अनुलग्नक संख्या–2 में दिये गये स्कोरिंग पैर्टन के अनुसार अधिकतम 15 अंक दिये जायेगें।
2. गैर राजस्व जल में कमी दर्ज करने वाली निकायों को अनुलग्नक संख्या–2 में दिये गये स्कोरिंग पैर्टन के अनुसार अधिकतम 15 अंक दिये जायेगें।
3. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचौलयों में 24X7 जलापूर्ति करने वाली निकायों को अनुलग्नक संख्या–2 में दिये गये स्कोरिंग पैर्टन के अनुसार अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें।
4. निकाय में 80 प्रतिशत वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करने वाली निकाय को अनुलग्नक संख्या–2 में दिये गये स्कोरिंग पैर्टन के अनुसार अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें।

3. प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अनुलग्नक संख्या–2 में दिये गये प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर से पूर्व निष्पादन अनुदान कर प्राप्ति हेतु अपना दावा (स्वपरीक्षित) राज्य सरकार को उपलब्ध करायें।

4. नगरीय निकायें जो 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेगीं, निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु अर्ह होगीं और जो निकायें 60 से कम अंक प्राप्त करेगीं, निष्पादन अनुदान हेतु अर्ह नहीं होगीं।

5. राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकिया के तहत अर्ह निकायों के मध्य निष्पादन अनुदान का बंटवारा किया जायेगाः–

   I) पहले चक में निर्धारित फार्मूले के तहत केवल अर्ह निकायों के मध्य अनुदान वितरित किया जायेगा।

   II) द्वितीय चक में अवितरित अनुदान (अनर्ह निकायों का अंश) को उन्हीं अर्ह निकयों को अतिरिक्त धनराशि के रूप में 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वितरित किया जायेगा।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में निष्पादन अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों के कम में आवश्यक तैयारी प्रत्येक दशा में एक माह में पूर्ण कर ली जाये। दावा प्राप्ति हेतु निकायवार विस्तृत समय–सारिणी बाद में प्रसारित किया जायेगा।

संलग्नकः– प्रारूप।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
निदेशक।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–9, लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि उपरोक्त हेतु अपने जनपद में अवस्थित नगर पालिका परिषदों/पंचायतों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– कम्प्यूटर सेल, स्थानीय निकाय निदेशालय, को पत्र को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त संबंधित को ई–मेल किये जाने हेतु।

(विशाल भारद्वाज)
निदेशक।

भाग–1 वार्षिक लेखे की सम्परीक्षा

निर्धारित अंक–10 (अधिकतम)

निर्धारित लक्ष्य	हां	नहीं
नागर निकाय द्वारा अपने सम्परीक्षित लेखे को निकाय की बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाना	10	0

भाग–2 निजी स्त्रोतों की आय में वृद्धि

(अ) निजी स्त्रोतों की आय से स्थापना एंव परिसम्पत्तियों के रख–रखाव पर आने वाले व्यय का आच्छादन

निर्धारित लक्ष्य	70% से अधिक	60% से 70% के मध्य	50% से 60% के मध्य	50% से कम
अंक	20	15	10	0
निकायें जो कि अपने राजस्व व्यय (सेवाओं के संचालन एंव रखरखाव तथा स्थापना एंव वेतन का योग) की रिकवरी अपने राजस्व प्राप्तियों से कर लेगें। (राजस्व प्राप्तियों में चूंगी, प्रवेश शुल्क तथा स्टैम्प शुल्क शामिल नहीं होगें)				

(ब) कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत

अमृत शहरों में 50%

निर्धारित लक्ष्य	40% से अधिक	30% से 40% के मध्य	20% से 30% के मध्य	20% से कम
अंक	20	15	10	0
समस्त स्त्रातों से प्राप्त निकाय की आय में पूंजीगत व्यय का अनुपात				

अन्य शहरों में 20%

निर्धारित लक्ष्य	20% से अधिक	150% से 20% के मध्य	10% से 15% के मध्य	10% से कम
अंक	20	15	10	0
समस्त स्त्रातों से प्राप्त निकाय की आय में पूंजीगत व्यय का अनुपात				

भाग–3 सर्विस लेवल बैंचमार्कस का प्रकाशन

(अ) जलापूर्ति

1– जलापूर्ति का आच्छादन (अधिकतम 15 अंक)

निर्धारित लक्ष्य	90% से 100% के मध्य	80% से 90% के मध्य	70% से 80% के मध्य	70% से कम
अंक	15	10	5	0
जलापूर्ति आच्छादन का अनुपात				

2– गैर राजस्व जल (NRW) में कमी (अधिकतम 15 अंक)

निर्धारित लक्ष्य	20% से कम	20% से 30% के मध्य	30% से 40% के मध्य	40% से अधिक
अंक	15	10	5	0
नगरीय निकायें जो गैर राजस्व जल के बैंचमार्क को पूरा करती हों				

3– सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में जलापूर्ति का आच्छादन (अधिकतम 10 अंक)

प्रतिशत	100% सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों आच्छादित	100% से कम
अंक	10	0
सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालायों में जलापूर्ति		

ब– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का आच्छादन (अधिकतम 10 अंक)

निर्धारित लक्ष्य	50% से अधिक	20% से 50% के मध्य	20% से कम
अंक	10	5	0
वैज्ञानिक विधि से कूड़ा निस्तारण का प्रतिशत			